भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA NO. 57/2021

No. 2019/AC-II/9/13 New Delhi, dated : 29.10.2021

General Managers
All Zonal Railways/PUs

Sub: Operation of Miscellaneous E-Receipt System (MERS) Portal.

Ref:- Board's letter no. 2019/AC-II/9/13 dated 10.06.2020(RBA No. 52/2020) dated 31.07.2020(RBA No. 61/2020) and dated 17.09.2020 (RBA No. 74/2020).

Miscellaneous E- Receipts System (MERS) portal has been developed in association with CRIS to facilitate digital payments of inward receipts to Railways. This has been rolled out on all Indian Railways and operational guidelines have been issued in this regard vide Board's letters ibid. The list of all such payments which can be accommodated on the system is at Annexure-I.

Recently, the facility of remittance of Foreign Service Charges (FSC) and other payments (electricity, water charges etc) to be remitted by officers out on deputation have also been facilitated on MeRS.

Suitable directives may be issued to the PHODs of all departments to use this portal for various items of Miscellaneous Receipts and to apprise Railways' clients about features and benefits of miscellaneous E-Receipts System (MERS) portal so that the scheme may be utilized to its fullest potential. This would be in line with Government initiative of encouraging digital payments and will introduce faster and transparent accountal of receipts.

DA: As above

Roopa 29/10/2021
(Roopa Srinivasan)
Pr. Executive Director/Accounts
Railway Board

Copy for information to

1. PFAs, all zonal Railways and PUs
2. PSO to CRB
3. PSO to MF, MI,M/O&BD,M/T&RS,DG/HR
4. DF/CRIS/Chanakyapuri, New Delhi

Annexure I

Payments which can be received through MeRS

1. Prepaid Meter Charge
2. Land License fee
3. Way leave Charges
4. License fee for advertising
5. Security Money
6. Parcel receipts
7. Tender Related Transactions (RFQ-PPP Module): Tender Paper Cost and Earnest Money.
8. Foreign Service Contribution Charges

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीए सं.57/2021

सं.2019/एसी-II/9/13 नई दिल्ली, दिनांक: 29.10.2021

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: विविध ई-प्राप्ति प्रणाली (एमईआरएस) पोर्टल का संचालन।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 10.06.2020 (आरबीए सं.52/2020) दिनांक 31.07.2020 (आरबीए सं.61/2020) और दिनांक 17.09.2020 (आरबीए सं.74/2020) का पत्र सं.2019/एसी-।।/9/13.

रेलवे की आवक प्राप्तियों के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए क्रिस के सहयोग से विविध ई-प्राप्ति प्रणाली (एमईआरएस) पोर्टल तैयार किया गया है। इसे सभी भारतीय रेलों में लागू किया गया है और बोर्ड के उक्त पत्रों के तहत इस संबंध में संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रणाली पर एकोमोडेट किए जाने वाले ऐसे सभी प्रकार के भुगतानों की सूची अनुबंध-। पर संलग्न है।

हाल ही में, विविध ई-प्राप्ति प्रणाली (एमईआरएस) पर विदेश सेवा प्रभारों (एफएससी) के विप्रेषण की सुविधा और प्रतिनियुक्ति पर बाहर तैनात अधिकारियों द्वारा विप्रेषित किए जाने वाले अन्य भुगतानों (बिजली, पानी प्रभार आदि) की सुविधा भी प्रदान की गई है।

सभी विभागों के प्रधान विभागाध्यक्षों को विविध प्राप्तियों की विभिन्न मदों के लिए इस पोर्टल का उपयोग करने और रेलवे के ग्राहकों को विविध ई-प्राप्ति प्रणाली (एमईआरएस) पोर्टल की विशेषताओं और लाभ के बारे में अवगत कराने के लिए समुचित निर्देश जारी किए जाएं ताकि इस योजना का पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा सके। यह सरकार के डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने की पहल के अनुरूप होगी और इससे प्राप्तियों का तीव्रतर और पारदर्शी लेखांकन शुरू होगा।

संलग्नक: यथोक्त।

(रूपा श्रीनिवासन)
प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
2. पीएसओ/सीआरबी
3. पीएसओ/एमएफ, एमआई, एम (ओ एंड बीडी), एम/टीआरएसए डीजी/एचआर।
4. डीएफ/क्रिस/चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

अनुबंध-I

भुगतान, जो विविध ई-प्राप्ति प्रणाली (एमईआरएस) के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं

1. प्रीपेड मीटर प्रभार।
2. भूमि लाइसेंस फीस।
3. वे लीव प्रभार।
4. विज्ञापन के लिए लाइसेंस फीस।
5. सुरक्षा जमाराशि।
6. पार्सल प्राप्तियां।
7. निविदा संबंधी लेनदेन (आरएफक्यू-पीपीपी मॉड्यूल): निविदा पेपर लागत और बयाना राशि।
8. विदेश सेवा अंशदान प्रभार।